उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या– 1118 –औ0सं0 / 2013–11(30)ए0एस0 / 2004 दिनांक 17 अप्रैल , 2013

स्पीड पोस्ट	(1)	प्रबन्धक, डिवाईन हार्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
तदैव	(2)	प्रबन्धक, मैट्रो हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एक्स–1, सेक्ट–12, नोयडा।
तदैव	(3)	प्रबन्धक, फोर्टिस हास्पिटल, नोयडा।
तदैव	(4)	प्रबन्धक, कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, एच–33, सेक्टर–27, नोयडा।
तदैव	(5)	प्रबन्धक, यशोदा हास्पिटल, गाजियाबाद।
तदैव	(6)	प्रबन्धक, नरेन्द्र मोहन हास्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, मोहन नगर, गाजियाबाद।
तदैव	(7)	प्रबन्धक, जसवन्त राय स्पेशियल्टी हास्पिटल, मवाना रोड़ मेरठ।
तदैव	(8)	प्रबन्धक, मेट्रो हास्पिटल एवं हार्ट इन्स्टीट्यूट, 47 / जी–5 बाउन्ड्री रोड़, लालकुर्ती, मेरठ, कैन्ट–250001
तदैव	(9)	प्रबन्धक, धनवन्तरी जीवन रेखा लिमिटेड, 1, साकेत, मेरठ–250003
तदैव	(10)	प्रबन्धक, हार्ट लाईन, कार्डियक केयर सेन्टर, 14 / 8, उल्गिन रोड़, इलाहाबाद।
तदैव	(11)	प्रबन्धक, सरस्वती हार्ट केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर (प्रा0–लि0), इलाहाबाद।
तदैव	(12)	प्रबन्धक, हेरिटेज हास्पिटल, लंका, वाराणसी।

विषय :– हृदय के केडिट उपचार के बिलों के प्रेषण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कारपोरेशन कार्मिको के हृदय रोग के केडिट उपचार के सम्बन्ध में अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में रोगी का फोटो लगाने व सत्यापन करने सम्बन्धी कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2053–औ0सं0 / 2012–11(4)एफ0 / 86 (**VOL-II**) दिनांक 10,जुलाई–2012 एवं आदेश संख्या–2800–औ0सं0 / 2012–11(30)ए0एस0 / 2004 दिनांक 21, सितम्बर–2012 (प्रतिलिपि संलग्न) में अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में फोटो लगाने व डा0 द्वारा सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्था को कार्यालय आदेश–556–औ0सं0 / 2013–11(30)ए0एस0 / 2004 दिनांक 28.02.2013 द्वारा दिनांक 01.05.2013 से प्रभावी किया गया है जिसके अनुसार हृदय रोग का केडिट पर कराये गये उपचार के विभिन्न मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से प्राप्त बीजकों के भुगतान की पूर्व व्यवस्था दिनांक 30.04.2013 तक प्रभावी रहेगी एवं संशोधित व्यवस्था की प्रकिया दिनांक 01.05.2013 से प्रभावी होगी।

इसी परिप्रेक्ष्य में हृदय के केडिट उपचार से सम्बन्धित बीजकों के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन ससमय हो सके इसके लिये यह आवश्यक है कि चिकित्सालयों से बीजक के साथ समस्त औपचारिकताये पूर्ण हो। अतः दिनांक 01.05.2013 के बाद आपके चिकित्सालयो द्वारा हृदय की केडिट चिकित्सा से सम्बन्धित जो भी बिल उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को भेजे जाये उनमें समस्त प्रपत्र संलग्न हो एवं सभी औपचारिकताये पूर्ण हो अन्यथा की स्थिति में बीजकों का भुगतान सम्भव न हो सकेगा। **कृपया बीजकों को भेजने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र एवं औपचारिकताये पूर्णकर ही बिल प्रस्तुत किये जाये :–**

(1) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के मरीजों, पेन्शनरों एवं उनके आश्रितों के क्रेडिट बीजकों (जिसमें पैकेज दरों पर उपचार तथा इमप्लान्ट आदि सम्मिलित है) पर अस्पताल द्वारा **4%** विशेष छूट देनी होगी। उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज होने पर 15 दिन की दवाईयों पर उक्त छूट प्रभावी नही होगी।

(2) प्राधिकार–पत्र पर कर्मचारी अथवा उसके आश्रित का फोटो अग्रसारण–अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं मोहर लगी हो।

(3) फोटोयुक्त अनिवार्यता प्रमाण–पत्र पर मरीज/कार्मिक का हस्ताक्षर हो तथा अधिकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं मोहर लगी हो।

(4) प्राधिकार–पत्र के साथ आवश्यक सत्यापित प्रमाण–पत्र जैसे सेवा–पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति अथवा पेन्शन भुगतान आदेश **(PPO)** की छायाप्रति आदि एवं पहचान पत्र तथा कर्मचारी के आश्रित के सम्बन्ध में आश्रित प्रमाण–पत्र एवं पुत्र/पुत्री का आयु का प्रमाण–पत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या– 1118 –(1) –औ0सं0/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(2) निदेशक(काप्र0एवंप्र0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपो0–प्लानिंग),उ0प्र0पा0का0लि0,शक्तिभवन,लखनऊ के निजी सचिव।

(3) प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर को समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु।

(4) समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

(5) समस्त महाप्रबन्धक/उप–महाप्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (लेखा–शाखा),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों तद्नुसार प्राधिकार–पत्र निर्गत करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

(6) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

(7) अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची एवं चिकित्सा दरों को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।

(8) सलाहकार (चिकित्सा) (उत्पादन निगम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

(9) कट फाइल ।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)